न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.98 / 2020

दिनांक5.03.2020

सरकार बनाम मिरचू

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम के केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली के ख0 न0 403 / 0.53है0 किस्म बारानी में से 0.53 है0 भूमि पर मिरचू पुत्र सुराजा जाति कंजर निवासी सा0देह तहसील कोटपूतली ने फसल गैंहू की कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये। गैर सायल ने मौखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया है परन्तु कोई जबाब , दस्तावेज पेश नही किये गये जिनके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके । अतः आतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल मिरचू पुत्र सुरजा जाति कंजर निवासी सा0देह तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम के केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 403 / 0.53है0किस्म बारानी में से 0.53 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बोई गई गैंहू की फसल को निलाम कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 2.00रू. का पचास गुणा 100 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.

तहसीलदार
कोटपूतली (जय

Scanned by CamScanner

आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखि
दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोलायत

Scanned by CamScanner